संख्या-138/2022/154/2022/002-71-2002-92-2019

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु जी0एस0टी0 मद की धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 6009/**योजना अनु**0/2019, **दिनांक** 04-08-2022 **का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रू**0 48,13,286.00 **की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- **के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-**27/2018/810/71-02-2018-**के0जी0एम0यू0**-56/2016, **दिनांक** 22.02.2018 **द्वारा रू**0 1742.51 **लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू**0 538.20 **लाख अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। उक्त के क्रम में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल धनराशि रू**0 1655.385 **लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं।**

3- **प्रश्नगत प्रायोजना हेतु देय जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक** 04-08-2022 **द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचरोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-**33/2019 /641/71-2-19-**के0जी0एम0यू0**-56/2016, **दिनांक** 25.03.2019 **द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू**0 855.80 **लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद की धनराशि रू**0 48,13,286.00 **की प्रतिपूर्ति अनुदान संख्या-**31 **से किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. **वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-**1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**13/2022/**बी-**1-454/**दस-**2022-231/ 2022 **दिनांक** 07-06-2022 **में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आंकलन से संतुष्ट हो जाने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

3. **कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुये यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई भी रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्ननगत प्रायोजना के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात ही प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।**
4. **इस संबंध में अन्य सुसंगत प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
5. **धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।**

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 48,13,286 (**रुपये अड़तालीस लाख तेरह हजार दो सौ छियासी मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 2022-23 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050600 **किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**13/2022/**बी-**1-454/ **दस-**2022-231/2022, **दिनांक-**07-**जून** 2022 **में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-138/2022/154/2022/002-71-2002-92-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
2. **महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
3. **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
4. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
5. **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्साथ विश्वववविद्यालय, लखनऊ।**
6. **वित्त ई-**3/**नियोजन अनुभाग-**4/**वित्त(आय-व्यऊयक) अनुभाग-**2
7. **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।महाप्रबन्धक/प्रबन्ध**
8. **निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।**
9. **नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन|**
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Filename: 138
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/21/2022 1:36:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 11/21/2022 1:36:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 11/21/2022 1:36:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 621 (approx.)
Number of Characters: 3,542 (approx.)